न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 12/2016

1 मनोहर आयु 35 साल पुत्र स्व. भागीरथ निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुरेन्द्र आयु 33 साल पुत्र स्व. भागीरथ निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजेन्द्र आयु 30 साल पुत्र स्व. भागीरथ निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती गिन्नी देवी धर्मपत्नी स्व. भागीरथ निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कालूसिंह पुत्र मघसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। "मृतक"
1/1 सुमन कंवर आयु 38 साल पत्नी स्व. कालुसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/2 पवन सिंह आयु 14 साल पुत्र स्व. कालुसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये वली कुदरती माता सुमन कंवर पत्नी स्व. कालुसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/3 पिंकी आयु 20 साल पुत्री स्व. कालुसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 मोबसिंह पुत्र मघसिंह उम्र 34 साल
3 मनोहर सिंह पुत्र मघसिंह आयु 23 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 कमल कंवर पुत्री मघसिंह उम्र 35 साल
5 सुमन कंवर पुत्री मघसिंह उम्र 32 साल
6 सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह उम्र 65 साल
समस्त जाति राजपूत निवासीगण झाझड़ नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ दिनांक 05.06.2014 उनवानी
कालुसिंह वगै. बनाम मनोहर वगै. अ.
धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम मु.नं. 06/2012

उपस्थिति :

1. श्री अनिल कुमार महरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुशील झाझड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की ओर से एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 899 वाके ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने अपने खेत खसरा नम्बर 899 में जाने के लिए अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 900 की पश्चिम सीमा से अपने खेत में आना जाना बतलाया है तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटाण का नहीं होने की वजह से विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.06.2012 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर अपने खेत में जाने हेतु 10 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालयय ने दिनांक 10.07.2012 को अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रार्थना पत्र वास्ते बहस दिनांक 08.09.2012 दी गई जो कि प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट राजेन्द्र द्वारा दिनांक 14.09.2012 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी के खिलाफ आदेश दिनांक 10.07.2012 को निरस्त किय जाने हेतु निवेदन किया जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.06.2013 को विचारण न्यायालय में बिना किसी पक्षकार के हस्ताक्षर के प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय के निर्णय में भी अंकित है दिनांक 05.06.2014 को विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 7 स्वीकार किया तथा उसी रोज पत्रावली में अन्तिम निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अलग से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमान कर दी गई। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी तरह का कोई अवसर प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अन्तिम बहस हेतु अवसर नहीं दिये जाने हेतु मनमर्जी से मनमाना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 900 की पश्चिमी सीमा के सहारे न तो रेस्पोडेन्ट ने कभी अपने खेत खसरा नम्बर 899 में जाने हेतु कोई रास्ता प्रयोग में लिया है ना वर्तमान में प्रचलित है जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट हमेशा से ही खेत खसरा नम्बर 894 की सीमा से अपने खेत खसरा नम्बर 899 में आते जाते रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त खेत की सीमा से ही अपने खेत खसरा नम्बर 899 में जाने हेतु रास्ता उपयोग में ले रहे है मात्र अपीलान्ट को हैरान परेशान करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा पटवारी हल्का से बाला–बाला बिना अपीलान्ट को सूचित किये एक रिपोर्ट ले ली गई जिसको आधार मानकार विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलान्ट के खेत से 10 फूट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया तथा अपीलान्ट को डी.एल.सी दर का दुगुना प्रतिफल अदा करने का आदेश पारित किया जो सभी विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार नवलगढ़ से प्रार्थीगण कालूसिंह आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट चाही गई। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम झाझड़ के खसरा नम्बर 899 रकबा 2.73 की खातेदार में कालूसिंह, मोबसिंह, मनोहरसिंह पिसरान मघसिंह सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह, कमला कंवर, सुमन कंवर पुत्रियां मघसिंह हिस्सा 1.41 हैक्टेयर कौम राजपूत के नाम से दर्ज है। इस खसरा नम्बर में प्रार्थीगण द्वारा कुआ व मकान बनाकर आबाद है परन्तु मौके पर इस खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के अनुसार कोई आने–जाने का रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता निकटतम है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी को धारा 251 ए के प्रकरण में मौका रिपोर्ट की अधिकारिता नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान की पालना किये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सक्षम स्तर से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)